



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032025-261984
CG-DL-E-27032025-261984

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 2025/ चैत्र 5, 1947

No. 159]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 2025/ CHAITRA 5, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2025

सा.का.नि. 194(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2025 है।
(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रवृत्त होंगे।
- पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, -

(क) अनुसूची-1 में, -

(i) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्र. सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक
1	2	3	4
			क: अपशिष्ट मानक
"1.	कास्टिक सोडा		सांद्रता के लिए सीमित मान (पीएच, जैव परख परीक्षण और जल उपभोग के सिवाय मिलीग्राम/लीटर में)
		जैव परख परीक्षण*	100% अपशिष्ट में पहले 96 घंटों के पश्चात्

		मछलियों का 90% जीवित रहना
	पीएच	6.5-8.5
	क्लोराइड \$	250
	कुल निलंबित ठोस	100
	कुल विघटित ठोस	2100 #
	तेल और ग्रीस	5
	अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन	0.5
	सल्फेट \$	200
	जल उपभोग की अधिकतम मात्रा	कास्टिक सोडा उत्पादन में प्रति टन 5 मी ³
	टिप्पण:	
	<p>1. ये मानक झिल्ली सेल प्रौद्योगिकी पर आधारित कास्टिक सोडा एकमात्र संयंत्रों पर लागू होंगे और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइपो का उत्पादन करते हैं और ये केवल अंतर्देशीय सतही जल निकायों और सिंचाई के लिए भूमि पर अपशिष्ट जल के अंतिम निर्वहन पर, न कि गहरे समुद्र में निपटान के लिए लागू होंगे।</p> <p>2. ये अपशिष्ट मानक भूमि और सतही जल निकायों में अपशिष्ट जल के सभी निर्वहन पर लागू होंगे, जिसमें बागवानी या सिंचाई के उद्देश्य के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग भी सम्मिलित है, तथा ये सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र में अपशिष्ट जल का निर्वहन करने वाले उद्योगों पर लागू नहीं होंगे।</p> <p>* जैवपरख परीक्षण भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विहित आईएस: 6582-1971 मानकों के अनुसार संचालित किया जाएगा।</p> <p>\$ क्लोराइड और सल्फेट के मानक पुराने संयंत्रों के लिए पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2025 के लागू होने की तारीख से दो वर्ष पश्चात लागू होंगे।</p> <p># अपशिष्ट जल में निर्मित कुल विघटित ठोस पदार्थ कच्चे जल के कुल विघटित ठोस पदार्थों के अतिरिक्त 1000 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु उपचारित बहिःस्राव में अधिकतम मान 3100 मिलीग्राम/लीटर से अधिक न हो तथा सोडियम अवशोषण अनुपात 26 से अधिक नहीं होना चाहिए।</p>	
	ख : पलायक उत्सर्जन के लिए मानक °	
	(स्थान: सेल हाउस और एचसीएल टावर के पास)	
	पैरामीटर	मानक (म्यूजी/एम ³)
	क्लोरीन	7
	हाइड्रोक्लोरिक एसिड	10
	° प्रत्येक उद्योग को पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2025 के लागू होने की तारीख से दो वर्ष के लिए क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से संबंधित कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन विहित उत्सर्जन मानकों को अपनाना होगा और उसके पश्चात् इस प्रविष्टि के अधीन पलायनशील उत्सर्जन लागू होगा।	
	ग: प्रक्रिया उत्सर्जन के लिए मानक	
	(स्थान: एचसीएल स्टैक)	
	पैरामीटर	मानक (मिलीग्राम/एनएम ³)
	क्लोरीन	5
	(स्थान: एचसीएल स्टैक)	
	क्लोरीन	5
	हाइड्रोक्लोरिक एसिड	10 @
	@ हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्सर्जन के लिए 10 मिलीग्राम/एनएम ³ मानक पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2025 के प्रारंभ की तारीख से दो वर्षों के लिए लागू होगा और उसके पश्चात् 5 मिलीग्राम/ एनएम ³ मानक लागू होगा।	

(ii) क्रम संख्या 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ख) अनुसूची VI में, -

(i) भाग ख "अपशिष्ट जल उत्पादन मानक" में, क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

क्र. सं.	उद्योग	मात्रा
(1)	(2)	(3)
"5	कट्टू सोडियम	
	अपशिष्ट जल उत्पादन की अधिकतम मात्रा **	1 मी ³ प्रति टन कास्टिक सोडा उत्पादन
	** कूलिंग टावर के फटने से होने वाली क्षति को अपशिष्ट जल उत्पादन में सम्मिलित नहीं किया गया है।"	

(ii) भाग ग "भार आधारित मानक" में, क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

"4. कास्टिक सोडा-

पैरामीटर	मानक: उत्पादित कास्टिक सोडा की मात्रा सीमा किलोग्राम/टन में
1	2
क्लोराइड §	0.25
कुल निलंबित ठोस	0.1
कुल विघटित ठोस	2.1
तेल और ग्रीस	0.005
अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन	0.0005
सल्फेट §	0.2

टिप्पण: ये मानक झिल्ली सेल प्रौद्योगिकी पर आधारित कास्टिक सोडा एकमात्र संयंत्रों पर लागू होंगे और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइपो का उत्पादन करते हैं और ये केवल अंतर्देशीय सतही जल निकायों और सिंचाई के लिए भूमि पर अपशिष्ट जल के अंतिम निर्वहन पर, न कि गहरे समुद्र में निपटान के लिए लागू होंगे।

§ क्लोराइड और सल्फेट के मानक पुराने संयंत्रों के लिए पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2025 के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष पश्चात् लागू होंगे।

[फा. सं. क्यू-15017/3/2023-सीपीडब्ल्यू]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2025

G.S.R. 194(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the expiry of a period of one year from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, —

(a) in Schedule-I, —

(i) for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely :—

S. No. 1	Industry 2	Parameter 3	Standards 4
A: Effluent Standards			
“1.	Caustic Soda		Limiting value for concentration (in mg/l except for pH, Bioassay and water consumption)
		Bioassay test*	90% Survival of fish after first 96 hours in 100% effluent
		pH	6.5-8.5
		Chloride [§]	250
		Total suspended solids	100
		Total dissolved solids	2100#
		Oil and grease	5
		Residual free chlorine	0.5
		Sulphate [§]	200
		Maximum quantity of water consumption	5 m ³ per ton of caustic soda production
<p>Note:</p> <p>1. These standards shall apply to caustic soda standalone plants based on membrane cell technology and produces Hydrochloric acid, Hydrogen, Chlorine and Hypo and shall apply only to the final discharge of wastewater to inland surface water bodies and land for irrigation and not for deep sea disposal.</p> <p>2. These effluent standards shall apply to all discharge of wastewater to land and surface water bodies including use of treated wastewater for horticulture or irrigation purpose and shall not apply to industry discharging wastewater to common effluent treatment plant.</p> <p>* The Bioassay test shall be conducted as per IS: 6582-1971 standards prescribed by the Bureau of Indian Standards.</p> <p>§ The standards for chloride and sulphate shall come into force after two years from the date of the commencement of the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2025 for the old plants.</p> <p># The built up total dissolved solids in wastewater shall not exceed 1000 mg/l over and above the total dissolved solids of raw water, provided maximum value of 3100 mg/l is not exceeded in the treated effluent and the sodium absorption ratio should not be more than 26.</p>			
B: Standards for fugitive emission[∞] (Locations: Cell house and Near HCl tower)			
Parameter		Standards (µg/m³)	
Chlorine		7	
Hydrochloric acid		10	
<p>[∞] Every industries shall adopt emission standards prescribed under the Factories Act, 1948 (63 of 1948) relating to chlorine and Hydrochloric acid for two years from the date of the commencement of the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2025 and thereafter for fugitive emission under this entry shall apply.</p>			
C: Standards for process emission (Location: Hypo stack)			
Parameter		Standards (mg/Nm³)	
Chlorine		5	
(Location: HCl stack)			
Chlorine		5	
Hydrochloric acid		10 [@]	
<p>[@] 10 mg/Nm³ standard for Hydrochloric acid emission shall apply for two years from the date of the commencement of the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2025 and thereafter 5 mg/Nm³ standard shall apply.”.</p>			

(ii) serial number 28 and the entries relating thereto shall be omitted.

(b) in Schedule VI, —

(i) in Part B “Wastewater Generation Standards”, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely :—

S. No.	Industry	Quantum
(1)	(2)	(3)
“5	Caustic Soda	
	Maximum quantity of waste water generation**	1 m ³ per ton of caustic soda production
	** Cooling tower blow down is excluded in the waste water generation.”	

(ii) in Part C “Load based Standards”, after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

“4. Caustic Soda-

Parameters	Standard: Quantum limit in Kg/tonne of Caustic Soda produced
1	2
Chloride [§]	0.25
Total suspended solids	0.1
Total dissolved solids	2.1
Oil and grease	0.005
Residual free chlorine	0.0005
Sulphate [§]	0.2
Note. —These standards shall apply to caustic soda standalone plants based on membrane cell technology and produces Hydrochloric acid, Hydrogen, Chlorine and Hypo and shall apply only to the final discharge of wastewater to inland surface water bodies and land for irrigation and not for deep sea disposal.	
[§] The standards for chloride and sulphate shall come into force two years from the date of the commencement of the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2025 for the old plants.”.	

[F. No. Q-15017/3/2023-CPW]
Ved Prakash Mishra, Jt. Secy.